तारीख हुक्म	**न्यायालयः सिविल न्यायाधीश, पुष्कर(अजमेर)** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **विष्णुचंद बनाम गुर्जर समाज** **इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 01/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.02.2025	अधिवक्ता डिक्रीदार उपस्थित। जारीशुदा कब्जा वारण्ट सहायक नाजिर पुष्कर की पुलिस इमदाद उपलब्ध ना होने के कारण तामील करवाने में मजबूरी रहने से अदम प्राप्त हुआ। हस्तगत प्रकरण में श्री कन्हैयालाल द्वारा दिनांक 06.02.2025 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया था, जो कि आज मूल इजराय प्रार्थना पत्र के तारीख पेशी पर नियत होने से मूल प्रार्थना पत्र के साथ सुनवाई हेतु पेश हुआ। इस आदेशिका द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.02.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। नकल प्रार्थना दिलाई गई। अधिवक्ता डिक्रीदार द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा, जिस पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। कन्हैयालाल के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश जसनानी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि हस्तगत इजराय याचिका में दिनांक 04.10.2016 को डिक्रीदार पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी का पेश कर तामील कुनिंदा की रिपोर्ट के आधार पर मद्यून संख्या 02 श्री कन्हैयालाल का निधन हो जाने के कथन अभिकथित करते हुए श्री कन्हैयालाल के स्थान पर श्री शिवा गुर्जर को, अजमेर गुर्जर समाज के अध्यक्ष की हैसियत से प्रतिस्थापित किए जाने का निवेदन किया गया। जबकि मद्यून संख्या 02 श्री कन्हैयालाल वर्तमान में जीवित है एवं अपने परिवार सहित 1250/क–1, गली संख्या 03, नर्सिंगपुरा, फॉय सागर रोड़, अजमेर पर स्थायी रूप से निवास कर रहा है। डिक्रीदार पक्ष द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए मद्यून संख्या 02 श्री कन्हैयालाल, जो कि वर्तमान में जीवित अवस्था में अजमेर में निवास कर रहे हैं, को मृत बतलाया जाकर पेश इजराय याचिका की कार्यवाही को निरंतर लगातार बनाए रखा, जो कि विधिसम्मत नहीं है। मद्यून संख्या 02 श्री कन्हैयालाल पर न्यायालय से जारी किसी नोटिस की कोई तामील नहीं हुई। वर्तमान इजराय याचिका में अपने हितों की सही व समुचित पैरवी कर अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहते है, जिस बाबत् समय प्रदान करने का निवेदन करते हुए जारीशुदा कब्जा वारण्ट की कार्यवाही को स्थगित किए जाने का निवेदन किया। जिसके विरोध में अधिवक्ता डिक्रीदार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सीधे ही मौखिक बहस करते हुए तर्क दिया कि हस्तगत इजराय याचिका डिक्रीदार द्वारा अजमेर जिला गुर्जर समाज, कन्हैयालाल अध्यक्ष, हनुवंत सिंह रावत, भोपा श्री छोगानाथ गुर्जर के विरुद्ध पेश की गई थी, न्यायालय द्वारा तामील हेतु कई मर्तबा प्रयास किये गए। कन्हैयालाल अध्यक्ष की मृत्यु होने की रिपोर्ट तामील कुनिंदा की रिपोर्ट पर प्राप्त हुई। दिनांक 30.09.2024 को न्यायालय द्वारा डिक्रीदार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 21 नियम 22 सीपीसी स्वीकार करते हुए विधिनुसार नोटिस की तामील स्थानीय अखबार में साया	

तारीख हुक्म	**न्यायालयः सिविल न्यायाधीश, पुष्कर(अजमेर)** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **विष्णुचंद बनाम गुर्जर समाज** **इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 01/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करवाए जाने के आदेश पारित किये गए, जिसकी पालना में दिनांक 23.10.2024 को डिक्री के निष्पादन के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने की सूचना अंतर्गत आदेश 21 नियम 22 सीपीसी अखबार में साया करवाकर, अखबार की प्रति पेश की गई तथा नियत दिनांक 09.12.2024 को मद्यून की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर न्यायालय द्वारा कब्जा वारण्ट आदेश 21 नियम 35 सीपीसी के तहत जारी किये गए। कन्हैयालाल की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे जाहिर आता हो कि उक्त कन्हैयालाल, अजमेर जिला गुर्जर समाज का अध्यक्ष हो या अजमेर जिला, गुर्जर समाज की ओर से अधिकृत हो। मद्यूनगण के विरुद्ध विधिनुसार प्रतिस्थापित तामील हो चुकी है। ऐसे में उक्त कन्हैयालाल की ओर से पेश प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं है। अंत में प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया। सुना गया। बहस तर्कों के प्रकाश में इजराय प्रार्थना पत्र पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से कन्हैयालाल गुर्जर पुत्र बक्ताराम गुर्जर द्वारा स्वयं को मद्यून संख्या 02 व अजमेर जिला, गुर्जर समाज का अध्यक्ष बताते हुए, उक्त इजराय पत्रावली में अपना पक्ष रखने हेतु समय प्रदान किए जाने व जारीशुदा कब्जा वारण्ट की कार्यवाही स्थगित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है, जिसका अधिवक्ता डिक्रीदार द्वारा विरोध कर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र पेशकर्ता कन्हैयालाल द्वारा स्वयं को मद्यून संख्या 02 व अजमेर जिला, गुर्जर समाज का अध्यक्ष बताया जाकर कथन किया गया है कि कन्हैयालाल आज भी जीवित है, जिस कन्हैयालाल पर तामील हुई वह कन्हैयालाल अजमेर जिला, गुर्जर समाज का अध्यक्ष नहीं रहा है। परंतु प्रार्थना पत्र पेशकर्ता कन्हैयालाल द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है, जिससे प्रकट होता हो कि उक्त कन्हैयालाल ही मद्यून संख्या 02/अजमेर जिला, गुर्जर समाज का अध्यक्ष हो या अजमेर जिला, गुर्जर समाज द्वारा किसी भी प्रकार से हस्तगत प्रकरण की पैरवी हेतु अधिकृत किया जाना प्रकट आता हो। इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आता है कि दिनांक 30.09.2024 को न्यायालय द्वारा डिक्रीदार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 21 नियम 22 सीपीसी स्वीकार करते हुए विधिनुसार नोटिस की तामील स्थानीय अखबार में साया करवाए जाने के आदेश पारित किये गए, जिसकी पालना में डिक्रीदार द्वारा दिनांक 23.10.2024 को डिक्री के निष्पादन के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने की सूचना अंतर्गत आदेश 21 नियम 22 सीपीसी अखबार में साया करवाकर, अखबार की प्रति पेश की गई तथा नियत दिनांक 09.12.2024 को मद्यून की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर न्यायालय द्वारा कब्जा वारण्ट आदेश 21 नियम 35 सीपीसी के तहत जारी किये जा चुके हैं।	

तारीख हुक्म	**न्यायालयः सिविल न्यायाधीश, पुष्कर(अजमेर)** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **विष्णुचंद बनाम गुर्जर समाज** **इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 01/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वर्तमान में इजराय प्रार्थना पत्र पत्रावली वर्ष 2014 से लंबित होकर, देखने कब्जा वारण्ट निष्पादन/पालना रिपोर्ट हेतु नियत है। यद्यपि प्रार्थना पत्र पेशकर्ता द्वारा स्वयं के तर्कों के समर्थन में आधार कार्ड व राजस्थान गुर्जर संगठन, जिला इकाई, अजमेर कार्यालय 18/202 छींपा गली, उतार घसेटी, अजमेर की दिनांक 15.03.1990 का लेटर पैड पर बैठक संबंधी दस्तावेज की फोटोप्रति पेश की गई है। आधार कार्ड के अवलोकन से पेशकर्ता कन्हैयालाल पुत्र बक्ताराम गुर्जर होना तो जाहिर है, परंतु इजराय पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज होना प्रकट नहीं आता है, जिसके अवलोकन से कन्हैयालाल पुत्र बक्ताराम गुर्जर ही मद्यून संख्या 02 होना प्रकट आता हो। इसके अतिरिक्त पेशकर्ता द्वारा पेश राजस्थान गुर्जर संगठन, जिला इकाई, अजमेर कार्यालय 18/202 छींपा गली, उतार घसेटी, अजमेर की दिनांक 15.03.1990 का लेटर पैड पर बैठक संबंधी दस्तावेज की फोटोप्रति के अवलोकन से भी अध्यक्ष कन्हैयालाल डोई होना प्रकट आता हैं। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजात से कन्हैयालाल गुर्जर पुत्र बक्ताराम गुर्जर ही अजमेर जिला गुर्जर समाज की ओर से अध्यक्ष हो या कभी रहा हो या अजमेर जिला गुर्जर समाज की ओर से अधिकृत किया गया हो, प्रकट नहीं आता है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर अवस्थित है। ऐसे में प्रार्थना पत्र पेशकर्ता कन्हैयालाल की ओर से पेश हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी दिनांकित 06.02.2025 विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने से स्वीकार किया जाकर इजराय पत्रावली में जारीशुदा कब्जा वारण्ट निष्पादन की कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है। अतः पेश हस्तगत प्रार्थना पत्र **अस्वीकार** कर **खारिज** किया जाता है। आदेश सुनाया गया। इसके अतिरिक्त जारीशुदा कब्जा वारण्ट भी सहायक नाजिर पुष्कर की पुलिस इमदाद उपलब्ध ना होने के कारण अदम पेश किया गया है। उक्त के साथ जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर के पत्रांक अजम/विविध/जाप्ता/2025/467 दिनांकित 08.02.2025 की प्रति भी पेश की गई है, जिसके अवलोकनानुसार पुलिस जाप्ता, परीक्षा ड्यूटी एवं अन्य कानून व्यवस्था ड्यूटी एवं व्यवस्थाओं में व्यस्तता के मद्देनजर पुलिस जाप्ता उपलब्ध नहीं करवाया जाना तथा पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाए जाने हेतु आगामी दिनांक का निवेदन किया जाना प्रकट आता है। अतः डिक्री निष्पादन हेतु पूर्वानुसार कब्जा वारण्ट जारी किया जावें। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर को एक तहरीर पुनः आवश्यक रूप से उक्त इजराय कार्यवाही को प्राथमिकता देते हुए पुलिस इमदाद नियमानुसार व आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाने हेतु जारी हो एवं उक्त की एक प्रति शांति एवं कानून व्यवस्था के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस, जिला अजमेर व जिला कलेक्टर,	

तारीख हुक्म	**न्यायालयः सिविल न्यायाधीश, पुष्कर(अजमेर)** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **विष्णुचंद बनाम गुर्जर समाज** **इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 01/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अजमेर को भी आवश्यक सूचनार्थ/कार्यवाही हेतु जारी हो एवं उक्त को जारी प्रति के साथ जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर के पत्रांक अजम/विविध/जाप्ता/2025/467 दिनांकित 08.02.2025 की प्रति भी संलग्न कर प्रेषित की जावें। पत्रावली कब्जा वारण्ट जारी होकर देखने पालना रिपोर्ट हेतु दिनांक 24.02.2025 को पेश हो।	